सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATI

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *54/2014*

श्री जगदीश.....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री जगदीश– (अनुपस्थित)

(2) उत्तरदाता–डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,बीकानेर।(उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती दिनांकः 21.07.2014
(ii) निर्णय दिनांकः 20.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी श्री जगदीश माली द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2014 प्रस्तुत कर डॉ. राधेश्याम आर्य, पशु पोषाहार विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। वांछित की गयी सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं होने के कारण लोक सूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक 173 दिनांक 08.05.2014 से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डॉ. राधेश्याम आर्य को सूचना प्रकट करने के संबंध में सहमति/असहमति दिए जाने के लिए नोटिस दिया गया जिसके क्रम में डॉ. राधेश्याम आर्य द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रकट करने के संबंध में लिखित असहमति प्रेषित की गई। लोक सूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक एफ.(432)/राजूवास/रजि./आरटीआई/2014/201 दिनांक 02.06.2014 अपीलार्थी को प्रेषित कर प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2014 के बिन्दु (E) के संबंध में दिए जाने वाले 9 पृष्ठों के लिए 18/– रू. भिजवाने हेतु सूचित किया गया जो अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2014 से भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रेषित कर अदा किए जिसके पश्चात् लोक सूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक एफ. (432)/राजूवास/रजि./ आर.टी.आई./2014/216 दिनांक 21.06.2014 से बिन्दु A से D का प्रत्युतर उपलब्ध करवाया गया तथा बिन्दु E के संबंध में 9 पृष्ठ प्रेषित किए गए। अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना तथा लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युतर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना	लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2014 से प्रेषित प्रत्युत्तर
1	यह की डॉ. राधेश्याम आर्य, प्रोफेसर पशु पोषाहार विभाग, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देने की कृपा करें:–	
A	यह कि नियुक्ति के समयकाल से आज तक दि. 6/5/2014 डॉ. राधेश्याम आर्य ने उपयोग में लिए समस्त दस्तावेजों जिनमें शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र व डिग्री जिसके आधार पर डा. राधेश्याम को नियुक्त किया गया व समय समय पर की गई पदोन्नति के प्रमाणित आदेशों की नकल उपलबध करावें।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चाहे गए दस्तावेज तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी के दस्तावेज है जिनका प्रकटन डॉ. राधेश्याम आर्य के किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है तथा ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से डॉ. आर्य की एकान्तता का अनाश्वयक अतिक्रमण होगा। डॉ. राधेश्याम आर्य द्वारा इन सूचनाओं को प्रकट किए जाने के संबंध में लिखित में असहमति प्रकट की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के प्रावधानों अनुसार बिना किसी व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाओं को प्रकट नही किया जा सकता है। आप द्वारा प्रस्तुत किए प्रार्थना पत्र में इन सूचनाओं को प्राप्त किए जाने के लिए कोई व्यापक एंव सद्भाविक जनहित प्रकट नहीं किया गया है। अतः वांछित सूचनाएं तृतीय पक्ष से जुड़ी निजी प्रकृति की सूचनाएं होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(J) के प्रकाश में सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
B	यह कि प्रमाणित नकल उपस्थित रजि. दिनांक 15/2/2013 से 28/12/2013 तक देने की कृपा करे जिसमें डा. राधेश्याम आर्य प्रो. अपनी उपस्थिति लगाते है।	आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि बिन्दु सं. 1 से वांछित सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित निजी प्रकृति की सूचना होने के कारण डॉ. राधेश्याम आर्य को सहमति/असहमति प्रकट करने हेतु प्रेषित नोटिस के जवाब में डॉ. आर्य द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि डॉ. आर्य के परिवार के साथ आपकी मुकदमेबाजी चल रही है तथा आप द्वारा आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है जिसकी FIR की प्रति भी डॉ. आर्य द्वारा सलंग्न प्रस्तुत की गयी है। डॉ. आर्य द्वारा यह अंकित किया गया है पारिवारिक रंजिश के कारण मुकदमेबाजी के लिए सूचना चाही गयी है। यद्यपि आप द्वारा वांछित की गयी सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों में उपलब्ध है तथा प्रतिबंधित श्रेणी की सूचना नहीं है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सरकारी तंत्र में अधिक पारदर्शिता लाना है न कि नागरिकों को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करवाना जिसके आधार पर मुकदमें दर्ज हो। सूचना प्राप्त करने हेतु इच्छुंक नागरिक द्वारा प्रार्थना पत्र में उद्देश्य वर्णित करना आवश्यक नही है लेकिन डॉ. आर्य द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है निजी हित की पूर्ति हेतु एवं मुकदमेंबाजी के लिए सूचनाएं चाही गयी है। अतः वांछित सूचना उपलबध करवायी जानी उचित नहीं है।
C	यह कि प्रमाणित नकल उपस्थित रजि. दिनांक 4/1/2010 व 30/8/07 तक उपलब्ध करावें।	बिन्दु B से वांछित सूचना के प्रत्युत्तर अनुसार।
D	यह कि प्रमाणित नकल उपस्थिति रजि दि. 1/7/09 से 10/9/09 तक तथा 10/11/09 से 15/11/09 तक देने की कृपा करें।	बिन्दु B से वांछित सूचना के प्रत्युत्तर अनुसार।
E	यह कि विश्वविद्यालय के समय के बारे में स्पष्टरूप से अवगत करवाने की कृपा करे कि कितने बजे वि.वि. खुलता व बंद होता है।	वांछित सूचना के सबंध में 09 पृष्ठ सलंग्न है।

लोक सचूना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 21.06.2014 से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 20.08.2014 सुनवाई हेतु निर्धारित की गई। अपीलार्थी को नोटिस क्रमांक 258 दिनांक 26.07.2014 प्रेषित कर सुनवाई दिनांक 20.08.2014 निर्धारित किए जाने की सूचना प्रेषित की गई साथ ही सुनवाई दिवस को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का भी विकल्प दिया गया। सुनवाई दिवस को अपीलार्थी अनुपस्थित रहा तथा लोक सूचना अधिकारी, डॉ. राकेश राव उपस्थित हुए।

अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः निम्नांकित आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है :–

(1) प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2014 के बिन्दु A से चाही गई सूचना जनहित से जुड़ी है अतः अपीलांट को डॉ. राधेश्याम आर्य की योग्यता जानने का अधिकार है। ,

(2) उपस्थिति रजिस्टर प्रतिबंधित सूचना की श्रेणी में नहीं आता। मुकदमेबाजी बढ़ने का हवाला देकर उपस्थिती रजिस्टर की प्रति नहीं दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

(3) उपस्थिति रजिस्टर की प्रति दिए जाने से तृतीय पक्ष के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता।

(4) प्रार्थना पत्र के बिन्दु A, B, C, D से चाही गई सूचना नहीं उपलब्ध करवाना तथा व्यक्तिगत श्रेणी का कहना कानूनन गलत है।

इसके विपरीत डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी द्वारा निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए :–

(1) अपीलार्थी की अपील बिना किसी ठोस आधारों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

(2) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2014 के बिन्दु (A) में डॉ. राधेश्याम आर्य के शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं डिग्री जिसके आधार पर डॉ. राधेश्याम आर्य को नियुक्त किया गया तथा पदौन्नति आदेश चाहे गए है। उक्त सभी दस्तावेज तृतीय पक्ष से संबंधित निजी दस्तावेज है तथा ऐसे दस्तावेज के प्रकटीकरण से अथवा प्रति दिए जाने से डॉ. राधेश्याम आर्य की एकांतता में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। डॉ. राव ने **सिविल अपील 6362/13 (एस.एल.पी. सं. 16870/2012) Union Pubilic Service Commision V/s Gourhari Kamila** तथा तीन अन्य अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 06.08.2013 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में UPSC द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर को विधि सम्मत माना, जिसमें अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति तथा एम.एस.सी., बी.एस.सी. की डिग्रियों की प्रतियां, सूचना का अधिकार अधिनियम की धार 8(1)(e) तथा 8(1)(j) के प्रावधानों अनुसार उपलबध नहीं करवायी गयी। अपीलार्थी द्वारा भी डॉ. आर्य से संबंधित चाहे गए दस्तावेज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में दिए जाने योग्य नहीं है अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

(3) उपस्थिती रजिस्टर यद्यपि गोपनीय श्रेणी के दस्तावेज नहीं है लेकिन विश्वविद्यालय में विभागवार उपस्थिति रजिस्टर संधारित किए जाते है जिसमें विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों की उपस्थित दर्ज की जाती है। प्रार्थी द्वारा डॉ. राधेश्याम आर्य के संबंध में

सूचना चाही है अतः केवल डॉ. राधेश्याम आर्य से संबधित भाग को पृथक् कर प्रति उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती।

(4) उपस्थिति रजिस्टर में अवकाश की सूचना भी दर्ज होती है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों A L (Academic Leave) देय होती है जो संबंधित कार्मिक द्वारा परीक्षा लेने इत्यादि कार्य पर जाने पर देय होती है। उक्त कार्य गोपनीय श्रेणी के कार्य होते है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। इस कारण भी उपस्थिती रजिस्टर की प्रति नहीं दी जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा बहस के दौरान मेरे समक्ष प्रस्तुत तर्को के आधार पर मेरे मत में अपील में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जाना है :–

(1) क्या बिन्दू संख्या (A) से वांछित सूचना निजी प्रकृति की सूचना है ?

(2) उपस्थिति रजिस्टर की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जा सकती है ?

(1) बिन्दू संख्या A के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील में यह कथन किया है कि अपीलांट को डॉ. राधेश्याम आर्य की योग्यता जानने का अधिकार है तथा सूचना जनहित से जुड़ी है। इस संबंध में मेरे मत में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित किए गए डॉ. राधेश्याम आर्य शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व डिग्री को व्यक्तिगत श्रेणी के दस्तावेज माना जाना उचित है क्योंकि इन दस्तावेजों पर संबंधित व्यक्ति का ही विधिक आधिपत्य होता है तथा इन दस्तावेजों का डॉ. राधेश्याम आर्य के लोक क्रियाकल्प से कोई संबंध नहीं है तथा व्यक्तिगत श्रेणी के दस्तावेज बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के प्रकट नहीं किया जा सकता। उत्तरदाता लोक सूचना अधिकारी द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत नजीर ***सिविल अपील संख्या 6362/13*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः लागू होता है अतः डॉ. आर्य के शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डिग्री तृतीय पक्ष के व्यक्तिगत दस्तावेज होने के कारण प्रति अपीलार्थी को नहीं दिया जाना उचित एवं विधि सम्मत है जहां तक पदौन्नति आदेशों का संबंध है पदौन्नति आदेश विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग होता है जिन्हें की व्यक्तिगत श्रेणी के दस्तावेज नहीं माना जा सकता अतः मेरे मत में प्रार्थी डॉ. राधेश्याम आर्य के पदौन्नति आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) उपस्थिति रजिस्टर गोपनीय एवं व्यक्तिगत दस्तोवेज की श्रेणी में नहीं आता है तथा उपस्थिति रजिस्टर कार्यालय अभिलेख का ही भाग होता है लेकिन लोक सूचना अधिकारी का यह तर्क भी उचित है कि उपस्थिति रजिस्टर में संबंधित विभाग में कार्यरत कार्मिकों के नाम भी दर्ज है तथा उनके नामों का अलग किए बिना डॉ. राधेश्याम आर्य से सबंधित भाग की उपस्थिति रजिस्टर से फोटो प्रति नहीं करवायी जानी दुष्कर कार्य है इससे उपस्थिति रजिस्टर कटने–फटने अथवा नष्ट होने की संभावना रहती है इस कारण अपीलार्थी को उपस्थिति रजिस्टर की प्रति नहीं उपलब्ध करवाया जाना विधि सम्मत है।

अतः अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2014 के बिन्दु संख्या 3 (A) से वांछित शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डिग्री तथा बिन्दु 3 (B) से (D) से

वांछित उपस्थिति रजिस्टर की प्रति दिलवाए जाने की मांग की हद तक अपील अधारहीन होने तथा माननीय सवौच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 6362/13 में पारित निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रकाश में अस्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि डॉ. राधेश्याम आर्य की पदौन्नति के संबंध में विश्वविद्यालय अभिलेखों में उपलब्ध आदेशों की प्रतियां अपीलार्थी को एक माह में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। निर्णय प्रति संबधित पक्षों को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय खुले चैम्बर में दिनांक 20.08.2014 को सुनाया गया।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER